



राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर - 302005

email:pd.rghs@rajasthan.gov.in

Ph. No. 0141-2740252

No:F.1(240)RGHS/21-22/ 2808 - 2821

Date: 24.03.2022

निर्देश

विषय:- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत आउटडोर चिकित्सा की वित्तीय सीमा वृद्धि के संबंध में।

वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट, दिनांक 10.02.2022 के अनुसार आउटडोर चिकित्सा की वित्तीय सीमा वृद्धि हेतु निम्नानुसार सक्षम स्तर निर्धारित किये गये है-

क्र.सं.	सक्षम स्तर	अतिरिक्त राशि वृद्धि
1.	निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज0 जयपुर	रु. 2.00 लाख तक।
2.	प्रशासनिक विभाग, वित्त (बीमा) विभाग	रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु. 5.00 लाख तक।
3.	वित्त (बजट) विभाग	रु. 5.00 लाख से अधिक एवं रु. 10.00 लाख तक।

अतः उक्त के संबंध में आउटडोर चिकित्सा की वित्तीय सीमा वृद्धि हेतु पात्र लाभार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय सीमा हेतु स्वयं की एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 15 दिवस पूर्व किया जाना सुनिश्चित करे ताकि असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

(शिप्रा विक्रम)

परियोजना निदेशक

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना



No:F.1(240)RGHS/21-22/

2808 - 2821 / 24.03.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

Date:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
8. संयुक्त परियोजना निदेशक (सतर्कता/क्लेम यूनिट), राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
10. संयु0/उप/सहा0 निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय।
11. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
12. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
14. सहायक प्रोग्रामर, आरजीएचएस को भेजकर लेख है कि इसे आरजीएचएस वेबसाइट पर अपलोड करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश कुमार मीणा)
संयुक्त परियोजना निदेशक
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना